सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 11

(भाग–I)

(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

<u>सं0 136 / XXIV-A-2/2025–25 / 2007 टी0सी0</u>

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2025

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु न्यू किचन कम स्टोर एवं किचन कम स्टोर रिपेयर की धनराशि का केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

संयुक्त निदेशक, अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0 697/PM Poshan-22(Budget)/2024–25 दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या [illegible] दिनांक 30.03.2025 एवं वरिष्ठ कोषा अधिकारी, वित्त विभाग, [illegible] उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–891 दिनांक 31.03.2025 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 [illegible] केन्द्रांश की धनराशि ₹17,64,66,000/–(रू0 सत्रह करोड़ चौसठ लाख छियासठ हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹1,96,08,000/–(रू0 एक करोड़ छियानबे लाख आठ हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 19,60,74,000/–(रू0 उन्नीस करोड़ साठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ठ–1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि उक्त कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश, शासनादेश स0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च 2024 एवं शासनादेश स0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा संशोधित नियमावली 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) धनराशि का विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 31-03-2025 14:56:35

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

<u>सं0 ( )/XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 31-03-2025 14:57:49

7

परिशिष्ट–1 / केन्द्रांश

शासनादेश सं0– 136 / XXIV-A-2/2025–25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9000.00	7528.12	1287.32
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3320.10	2491.16	425.99
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	400.23	300.30	51.35
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	12720.33	10319.58	1764.66

(रू0 सत्रह करोड़ चौंसठ लाख छियासठ हजार मात्र)

क्रमशः पृष्ठ सं.–4....

परिशिष्ट–2 / राज्यांश

शासनादेश सं0– 136 / XXIV-A-2/2025–25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	900.00	765.59	134.40
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	328.42	253.36	55.96
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	39.59	30.49	5.71
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1268.01	1049.45	196.08

(रू0 एक करोड़ छियानबे लाख आठ हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

सं0 135/XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2025

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु किचन डिवाइस एवं न्यू किचन डिवाइस की धनराशि का केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0/696/PM Poshan-23(Budget)/2024–25 दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–6-11/2012-EE-6(MDM-3-1) दिनांक 30.03.2025 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–891, दिनांक 31.03.2025 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹,95,35,500/–(रू0 पिचानबे लाख पैंतीस हजार पांच सौ मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹,10,59,500/– (रू0 दस लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 1,05,95,000/–(रू0 एक करोड़ पांच लाख पिचानबे हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले

(6) शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायं उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 31-03-2025 14:54:36
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 / ()/XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 31-03-2025 14:56:56

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

ile No. BESI-1/101/77/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1/केन्द्रांश

शासनादेश सं0– 135 /XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9000.00	7458.56	69.561
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3320.10	2468.14	23.019
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	400.23	297.52	2.775
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	12720.33	10224.22	95.355

(रू0 पिचानबे लाख पैंतीस हजार पांच सौ मात्र)

क्रमशः पृष्ठ सं.–4.....

File No. BES1-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–2/राज्यांश

शासनादेश सं0– 135 /XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0 दिनांक 31 मार्च, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	900.00	757.84	7.754
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	328.42	250.78	2.583
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	39.59	30.23	0.258
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1268.01	1038.85	10.595

(रू0 दस लाख उनसठ पांच सौ हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

सं0 130 /XXIV-A-2/2025–26/2007/Vol-1(E-51835)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2025

विषयः मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/673/पी0एम0पोषण/60(मिल्क)/2024–25 दिनांक 24 मार्च, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री अमृत आँचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छत्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु **रू0 3,41,79,136/–(रू0 तीन करोड़ इकतालीस लाख उनासी हजार एक सौ छत्तीस मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
3. योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षक यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या मद आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हों।
5. स्वीकृत धनराशि समय से उपयोग करने हेतु संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों/संबंधितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी। आहरण एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
7. वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
9. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/

File No. BES2-8/115/48/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(I) (Computer No. 51835)

Scanned with OKEN Scanner

आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. विभिन्न मदों में व्यय/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
11. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
12. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/287224/2025 दिनांक 29.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 29-03-2025 15:32:58
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/2025–25/2007/Vol-1(E-51835) तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 29-03-2025 16:12:47

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 134/XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत चतुर्थ किश्त (अंतिम किश्त) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा0प0का0/670/PM Poshan-08(Budget)/2024–25 दिनांक 22 मार्च, 2025 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–17-9/2024-PMP-1 दिनांक 21.03.2025 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 26.03.2025 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 30,90,25,000/–(रू0 तीस करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 3,10,98,000/– (रू0 तीन करोड़ दस लाख अठानब्बे हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 34,01,23,000/–(रू0 चौंतीस करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ठ–1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं शासनादेश सं0–469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 27-03-2025 18:19:52
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 / ()/XXIV-A-2/2024–25/2007 टी0सी0 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 27-03-2025 18:25:16

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

परिशिष्ट–1/केन्द्रांश

शासनादेश सं0– 134 /XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0 दिनांक 27 मार्च, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9000.00	5204.22	2254.34
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3320.10	1722.15	745.99
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	400.23	207.6	89.92
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	12720.33	7133.97	3090.25

(रू0 तीस करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र)

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

शासनादेश सं0– 134 / XXIV-A-2/2025–25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 27- मार्च, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	900.00	530.98	226.86
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	328.42	175.71	75.07
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	39.59	21.18	9.05
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1268.01	727.87	310.98

(रू0 तीन करोड़ दस लाख अठानबे हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

संख्या: 101 / XXIV-A-2/2025–14 / 2020(E-83982)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण वांछित धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अर्थ–2/16954/5क(02)/17/2024–25 दिनांक 11.02.2025 एवं सं0–अकादमिक(04)/18067/पाठ्य–पुस्तक/2024–25 दिनांक 03.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–09 पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 2,66,69,000/– (रू0 दो करोड़ छियासठ लाख उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।
8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं

Scanned with OKEN Scanner

अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित् किया जाये।
11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–11 के अधीन संलग्नक परिशिष्ट–1 (बी0एम0–09) में उल्लिलिख लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन शासनादेश संख्याः 130/XXVII(6)/430/एक/2008 /2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/284330/2025 दिनांक 20.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 21-03-2025 14:06:46
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

सं0 ( )/ XXIV-A-2/2025–14 / 2020(E-83982) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

13. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
16. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
17. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 83982)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

प्रपत्र एम.बी.–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2024–25)

अनुदान सं0 व नाम:–11–शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा सांस्कृति
मुख्य शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/विनियोग (8–11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202–सामान्य शिक्षा 01–प्रारम्भिक शिक्षा 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय 13–कक्षा एक से आठ तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था						2202–सामान्य शिक्षा 01–प्रारम्भिक शिक्षा 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण					
44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	250000	26669	26669	26669	223331	56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	330000	356669	26669	26669	356669
योग	250000	26669	26669	26669	223331	योग	330000	356669	26669	26669	356669

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

File No. DES2-1/101/1/2025-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 83582)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:...101.............दिनांक21.03.2025

पुनर्नियोग स्वीकृत

Signed by
Amita Joshi
Date: 20-03-2025 18:15:40

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(अमिता जोशी)
अपर सचिव
वित्त विभाग

सं0 ( )/XXIV-A-2/2025-14/2020(E-83982)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
05. गार्ड फाइल।

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव
बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 21-03-2025 14:17:47

File No. BESz-1/101/1/2025-XXIV-A-z-Basic Education Department (Computer No. 83982)

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 86 / XXIV-A-2/2024–14 / 2020(E-13490)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 07 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय योजना में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण वांछित धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अर्थ–2/16799/5क(02)/17/2024–25 दिनांक 03.02.2025 एवं सं0–नियोजन(04)/17399/विद्युत/2024–25 दिनांक 21.02.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–09 पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 3400हजार(रू0 चौंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।
8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं

File No. BESE-1/102/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 13490)

Scanned with OKEN Scanner

अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–04/XXVII(1)/2018 दिनांक 26 जुलाई, 2018 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–11 के अधीन संलग्नक (बी0एम0–09) में उल्लिखित लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन शासनादेश संख्याः 130/XXVII(6)/430/एक/2008 /2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/280330/2025 दिनांक 05.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 06-03-2025 13:27:04

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

सं0 — ()/ XXIV-A-2/2023–14/2020(E-13490) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, उत्तरखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 06-03-2025 13:38:21

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 13490)
Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र एम.बी.-8 (भाग-एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2024-25)

अनुदान सं0 व नाम-11-शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
मुख्य शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रुपये में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित मदों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2-5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात प्रगामी अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 12-प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास						2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय 04-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय					
51-अनुरक्षण	200000	3400	3400	3400	196600	22-कार्यालय व्यय	1900	5300	3400	3400	5300
योग	200000	3400	3400	3400	196600	योग	1900	5300	3400	3400	5300

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

File No. BES2-1/102/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 13490)

संख्या 86 दिनांक 07/03/2025

पुनर्विनयोग स्वीकृत

Signed by
Amita Joshi
Date: 05-03-2025 15:43:52

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अमिता जोशी,
अपर सचिव
वित्त अनुभाग–3

सं0 —— ( )/ XXIV-1,2/2025–14/2020(E-13490)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
05. गार्ड फाइल।

राजेन्द्र सिंह बौनाल,
अनु सचिव
बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

File No. BESE-1/102/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 13490)

Scanned with OKEN Scanner

File No. BESC-48082117/TT/XXIV A-2/2024-Basic Education Department Computer No 52772)
204016/2024
204016/2024

संख्या– 195 /XXIV(1)-A-2 /2024–14 / 2020 टीसी

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: अप्रैल, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–बजट–2/148/5क(02)/01/2024–25, दिनांक 05 अप्रैल, 2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिष्ठान सम्बन्धी विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित विवरण/मदानुसार कुल धनराशि रू0 34,63,75,28,000/– (रू0 चौंतीस अरब त्रेसठ करोड़ पचहत्तर लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 09/04/

'204016/2024 3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-04-2024 14:23:33

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh
Bonal
Date: 08-04-2024 16:40:22

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 08/04/

परिशिष्ट–1

संख्या– 195 /XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी0सी0 दिनांक 08 अप्रैल, 2024 का संलग्नक:

(धनराशि रू0 हजार मात्र)

अनुदान संख्या–11(राजस्व)			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रस्तावित धनावंटन
2202–	सामान्य शिक्षा		
01–	प्रारम्भिक शिक्षा		
001–	निदेशन तथा प्रशासन		
03	निदेशालय अधिष्ठान		
	01 वेतन	39000	39000
	02 मजदूरी	50	50
	03 मंहगाई भत्ता	21840	21840
	04 यात्रा भत्ता	300	300
	06 अन्य भत्ते	4290	4290
	07 मानदेय	50	50
	08 पारिश्रमिक	780	780
	11 अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	12	12
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	300	300
	22 कार्यालय व्यय	300	300
	24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	100	100
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	500	500
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	300	300
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	500
	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	600	600
	30 आतिथ्य व्यय	50	50
	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयत्र	100	100
	42 अन्य विभागीय व्यय	300	300
	योग–03	69372	69372
	योग–001	69372	69372
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
04	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	01 वेतन	20110000	20110000
	03 मंहगाई भत्ता	11261600	11261600
	04 यात्रा भत्ता	400	400
	06 अन्य भत्ते	2212100	2212100
	09 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	10000	10000
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	1425	1425
	22 कार्यालय व्यय	1900	1900
	23 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	500
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	100000	100000
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2375	2375
	42 अन्य विभागीय व्यय	475	475
	योग– 04	33700775	33700775
	योग–101	33700775	33700775
102	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहा0		
14–	सहायता प्राप्त उ0मा0 विद्यालयों से अंबद्ध प्राइमरी		

	प्रभाग		
	05 वेतन भत्तो के लिए सहायक अनुदान	100000	100000
	योग—14	100000	100000
18—	शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान		
	08 पारिश्रमिक	116400	116400
	योग—08	116400	116400
	योग—18	116400	116400
	योग—102	216400	216400
104—	निरीक्षण		
03—	क्षेत्रीय निरीक्षण		
	01 वेतन	102800	102800
	03 मंहगाई भत्ता	57568	57568
	04 यात्रा भत्ता	1500	1500
	06 अन्य भत्ते	11308	11308
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	750	750
	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	750	750
	22 कार्यालय व्यय	1500	1500
	24 विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	1500	1500
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	1500	1500
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	750	750
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1000	1000
	29 गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	1500	1500
	40 मशीन उपकरण सज्जा एवं संयत्र	750	750
	42 अन्य विभागीय व्यय	300	300
	योग—03	183476	[illegible]
05—	विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना		
	01 वेतन	269000	269000
	03 मंहगाई भत्ता	150640	150640
	04 यात्रा भत्ता	4750	4750
	06 अन्य भत्ते	29590	29590
	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	1900	1900
	21 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1900	1900
	22 कार्यालय व्यय	1900	1900
	23 किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	500	500
	25 उपयोगिता बिलों का भुगतान	2375	2375
	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण	2250	2250
	27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2500	2500
	42 अन्य विभागीय .व्यय	200	200
	योग 05	467505	467505
	योग 104	650981	650981
	महायोग (प्रारम्भिक शिक्षा)	34637528	34637528

(रूपये चौंतीस अरब त्रेसठ करोड़ पचहत्तर लाख अठाईस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 08/04/

संख्या: 84/XXIV-A-2/2025-14/2020(E-84738)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता योजना में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण वांछित धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-अर्थ-2/18157/5क(02)/17/2024-25 दिनांक 05.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0-09 पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 **9,63,69,000/-(रू0 नौ करोड़ तिरेसठ लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.-08 पर शासन को प्रेषित की जाए।

8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150, 2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09. 2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाये।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–11 के अधीन संलग्नक (बी0एम0–09) में उल्लिलिख लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन शासनादेश संख्याः 130/XXVII(6)/430/एक/2008 /2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/286746/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal (एम.एम. सेमवाल)
Date: 28-03-2025 14:01: अपर सचिव।

<u>सं0 ( )/XXIV-A-2/2025–14/2020(E-13490) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, उत्तरखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

150
09

परिशिष्ट–1

प्रपत्र एम.बी.–8 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2024–25)

अनुदान सं0 व नाम:–11–शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
मुख्य शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	आवेदन की तिथि पर की उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (8–11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–12–प्राथमिक विद्यालयों मे अवस्थापना सुविधाओं का विकास						2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–0702–सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता					
51–अनुरक्षण	200000	40000	40000	40000	160000	05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	1310000	1406369	96369	96369	1406369
2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय–04–राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय											
52–लघु निर्माण	150000	14564	14564	14564	135436						
2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–18–शिक्षा मित्रों को मानदेय											
08–पारिश्रमिक	116400	9305	9305	9305	107095						
2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–03–बालक एवं बालिका विद्यालय											
08–पारिश्रमिक	670000	32500	32500	32500	637500						
महायोग	1136400	96369	96369	96369	1040031	योग	1310000	1406369	96369	96369	1406369

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

संख्या– 84 दिनांक 28/03/2025

पुनर्विनियोग स्वीकृत

Signed by
Amita Joshi
Date: 27-03-2025 17:32:33

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम अमिता जोशी, अपर सचिव
वित्त विभाग वित्त अनुभाग–3

सं0 / ( )/ XXIV-A-2/2025–14 / 2021(E-44738)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
05. गार्ड फाइल।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 28-03-2025 14:06:55

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम राजेन्द्र सिंह बोनाल, अनु सचिव
वित्त विभाग बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

प्रेषक, संख्याः 83 /XXIV-A-2/2024-14/2020(E-13490)

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में कतिपय मदों में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–अर्थ–2/18135/5क(02)/17/2024–25 दिनांक 05.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट–1/2 (बी0एम0–09) पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए रू0 3,34,000/–(रू0 तीन लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जाये।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं समस्त वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नहीं रखा जाये।
3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
4. आवंटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाये।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rule, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. जिन मदों से बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापि नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी.एम.–08 पर शासन को प्रेषित की जाए।
8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150) 2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं

File No. BESE-1/108/1/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 11490)

Scanned with OKEN Scanner

अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (तथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जाये।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–11 के अधीन संलग्नक परिशिष्ट–1/2 (बी0एम0–09) में उल्लिलिख लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन शासनादेश संख्याः 130/XXVII(6)/430/एक/2008 /2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः 1/284222/2025 दिनांक 20.03.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 24-03-2025 10:44:06

भवदीय,
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

सं0 /()/ XXIV-A-2/2025–14/2020(E-13490) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

13. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़, उत्तरखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
16. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
17. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 24-03-2025 11:58:22

Scanned with OKEN Scanner

<u>परिशिष्ट–1</u>

प्रपत्र एम.बी.–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2024–25)

अनुदान सं0 व नामः–11–शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
मुख्य शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रूपये में½

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित किये जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (8–11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय अधिष्ठान						2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–108–अध्यापक और अन्य सेवायें–02–एजुकेशन पोर्टल					
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान	500	210	210	210	290	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	200	240	40	40	240
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	300	124	109	109	191	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	870	1135	265	265	1135
						40–मशीन उपकरण साज एवं संयंत्र	10	24	14	14	24
योग	800	334	319	319	481	योग	1080	1399	319	319	1399

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

<u>परिशिष्ट–2</u>

प्रपत्र एम.बी.–9 (भाग–एक)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति हेतु आवेदन
(वित्तीय वर्ष 2024–25)

अनुदान सं0 व नामः–11–शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
मुख्य शीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा

(धनराशि हजार रूपये में½

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये		निम्नलिखित निधियों को प्रस्तावित अंतरण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाये	
लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन की तिथि पर उपलब्ध बचतें	अंतरित किये जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (2–5)	लेखे का शीर्षक (15 अंकीय कूट में)	वित्तीय वर्ष हेतु उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वर्ष के दौरान प्रत्याशित कुल व्यय	अंतरण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अंतरण हेतु राशि	अंतरण के पश्चात अवशेष अनुदान/ विनियोग (8–11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–निदेशालय अधिष्ठान						2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–001–निदेशन तथा प्रशासन 03–निदेशालय अधिष्ठान					
20–लेखन सामग्री एवं छपाई	300	124	15	15	285	08–पारिश्रमिक	780	795	15	15	795
योग	300	124	15	15	285	योग	780	795	15	15	795

प्रमाणित किया जाता है कि पैरा 133 व 134 में निर्धारित शर्तों सीमाओं का इस पुनर्विनियोग में उल्लंघन नहीं किया गया है।

Basic Education Department (Computer No. 11450)
Scanned with OKEN Scanner

संख्या.......... दिनांक 24.03.2025
पुनर्विनियोग स्वीकृत

Signed by
Amita Joshi
Date: 20-03-2025 16:59:37

सेवा में,

महालेखाकार (ए एंड ई),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम अमिता जोशी, अपर सचिव
वित्त विभाग वित्त अनुभाग–3

सं0 83 ()/XXIV-A-7/2023–41/2021(E-48394)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
05. गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम राजेन्द्र सिंह चौनाल, अनु सचिव
वित्त विभाग बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

उत्तराखंड शासन
वित्तीय वर्ष2024 - 2025
वी. ऍम. - 09

अनुदान संख्या -011
पुनरविपोग स्वीकृति आदेश संख्या-

आवंटन आई डी-RE25030110017
दिनांक-25-MAR-2025

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक (1)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समाजोजित धनराशि (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की जानी है (5)	पुनरविपोग के वाद स्तम्भ -5 की योग धनराशि (6)	पुनरविपोग के वाद स्तम्भ -1 की योग धनराशि	अभिव्यक्ति
	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-निदेशालय अधिष्ठान 00-निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 में स्थानान्तरित) (Voted)				2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 106-अध्यापक और अन्य सेवायें 02-एजूकेशन पोर्टल 00-- (Voted)			
1	20-लेखन सामग्री एवं छपाई 300000	159977	31023	109000	25-उपयोगिता विलों का भुगतान 40000	240000	191000	
2	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 500000	157403	132597	210000	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 265000	1135000	290000	
3					40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र 14000	24000	0	
योग				319000	319000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनरविपोग के बजट 133, 134 में उल्लेखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

IFMS Uttarakhand

उत्तराखंड शासन
वित्तीय वर्ष2024 - 2025
बी. ऐम. - 09

अनुदान संख्या -011
पुनरवियोग स्वीकृति आदेश संख्या-

आवंटन आई डी-RE25030110018
दिनांक-25-MAR-2025

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक (1)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष धनराशि समायोजित धनराशि (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की जानी है (5)	पुनरवियोग के बाद स्तम्भ -5 की योग धनराशि (6)	पुनरवियोग के बाद स्तम्भ -1 की योग धनराशि	अभिव्यक्ति
	2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-निदेशालय अधिष्ठान 00-निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 में स्थानान्तरित) (Voted)				2202-सामान्य शिक्षा 01-प्रारम्भिक शिक्षा 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-निदेशालय अधिष्ठान 00-निदेशालय अधिष्ठान (02-001-03 में स्थानान्तरित) (Voted)			
1	20-लेखन सामग्री एवं छपाई 191000	159977	16023	15000	08-पारिश्रमिक 15000	795000	176000	
योग				15000	15000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनरवियोग के बजट 133, 134 में उल्लेखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः– 58 / XXIV-A-2/2025–02 / 2024(E-67327)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 06 मार्च, 2025

विषयः जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0–नियोजन(04)/15152/उपभोगप्र0पत्र/2024–25 दिनांक 23.12.2024 एवं सं0–नियोजन(04)/17792/उपभोगप्र0पत्र/2024–25 दिनांक 25.02.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण के चालू निर्माण कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 15.00 करोड़ा (रू0 पन्द्रह करोड़) में से संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि ₹ 52,41,000/–(रू0 बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र) कार्यों की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0–64/XXIV-A-2/2024–02/2024(E-67327) दिनांक 06.02.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/019(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश सं0–201358/019(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 05-03-2025 11:55:55
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

क्रमशः.....2

Lg No. DESE-I/101/1/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 67327)

Scanned with OKEN Scanner

सं0 ( )/ XXIV-A-2/2025—02/2024(E-67327)तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 05-03-2025 14:23:28

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः.....3

File No. BES2-1/101/1/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 67327)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-1

<u>शासनादेश सं0- 58 /XXIV-A-2/2025-02/2024(E-67327) दिनांक 06 मार्च, 2025 का संलग्नक</u>

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (50%)	अवशेष धनराशि (50%)
शासनादेश सं0-64, दिनांक 06.02.2024 द्वारा स्वीकृत कार्य:-				
1.	रा0प्रा0वि0 सुन्दर (रणगांव)	35,16,000	17,58,000	17,58,000
2.	रा0प्रा0वि0 जैंती डॉग	34,83,000	17,41,500	17,41,500
3.	रा0प्रा0वि0 डडोली तल्ली	34,83,000	17,41,500	17,41,500
			योग	52,41,000

(रू0 बावन लाख इकतालीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/1/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 67327)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या– 50 / XXIV(1)-A-2 /2025–14 / 2020 टी0सी0

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: अर्थ–2/14581/5क(02)/01/2024–25 दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 एवं सं0–अकादमिक(04)/15733–35/पाठ्य पुस्तक/2024–25 दिनांक 15 जनवरी, 2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण के अन्तर्गत मानक मद 56–सहयक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रु0 23,62,51,466/–(रू0 तेईस करोड़ बासठ लाख इक्यावन हजार चार सौ छियासठ मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
3. स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
4. योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।
5. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
6. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि न की जाये। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
8. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अग्रिम वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाये।
9. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात किया जाये।

e No. BES2-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 52772)

10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में यथाआवश्यकता, मितव्ययिता ध्यान में रखकर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जाये।
12. वास्तवित व्यय की स्थिति सुसंगत अभिलेखों के साथ शासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन अवमुक्त की जा रही है कि प्रकरण के संबंध में शासन स्तर से प्राप्त होने वाले अद्यतन दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. पाठ्य पुस्तकों की पेपर क्वालिटी मानकानुसार रखी जाय। मुद्रण एवं अन्य प्रकरण की अनियमितता हेतु सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
15. बुक बैंक की स्थापना हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी को व्यापक निर्देशों के साथ निर्देशित कर लिया जाय।
16. यदि बुक बैंक की स्थापना हेतु शासन के निर्देशों की आवश्यकता हो तो, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय।
17. चालू शैक्षिक सत्र में छात्र–छात्राओं को आवंटित की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों को अगले सत्र के प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर विद्यालय में स्थापित बुक बैंक में जमा कराते हुये उनके संरक्षण हेतु सुनियोजित कार्ययोजना तैयार की जाय। चालू शैक्षिक सत्र की समाप्ति से पूर्व बुक बैंक में संरक्षित पुस्तकों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
18. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की उपयोगिता का लाभ वास्तविक रूप से लाभार्थी को प्राप्त हो।
19. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
20. शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु पात्र छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों के अधीन पूरी प्रक्रिया समायान्तर्गत पूर्ण करने हेतु एक समय–सारणी तैयार करें, जिससे कि शैक्षिक सत्र शुरू होने से पूर्व पाठ्य पुस्तकें विद्यालयों में पात्र छात्र–छात्राओं को उपलब्ध हो सकें। विलम्ब की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
21. अवमुक्त की जा रही धनराशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 तथा गत वित्तीय वर्ष 2023–24 के सभी लम्बित बिलों का भुगतान कर लिया जाएगा। इसके पश्चात् भी प्रकरण में यदि कोई देयता शेष रहती है तो इसके लिये आप पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–20–विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का विवरण–56–सहयक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/आलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/275163/2025 दिनांक 12.02.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

Signed by
Ravinath Raman
Date: 19-02-2025 18:05:11

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

e No. BES2-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 52772)

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2025–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ़ रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), कौलागढ़ रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 20-02-2025 14:20:44

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

e No. BESz-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 52772)

संख्या:- 569/XXIV-A-2/2025-24/2024(E-81365)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 18 फरवरी, 2025

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-नियोजन(04)/14160/अ०शासन/2024-25 दिनांक 29.11.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों के आंगणन कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा टी०ए०सी० परीक्षणोपरान्त कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण कुल धनराशि ₹ 1,36,07,000/-(रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख सात हजार मात्र) की स्वीकृति वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1.	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 बैरागीवाला	भवन पुनर्निर्माण	33,05,000	33,05,000
2.	देहरादून	विकासनगर	रा0आ0उ0प्रा0वि0 सभावाला	भवन पुनर्निर्माण	47,36,000	47,36,000
3.	ऊ0सिं0नगर	गदरपुर	रा0प्रा0वि0 धीमरखेड़ा	भवन पुनर्निर्माण	42,28,000	42,28,000
4.	नैनीताल	हल्द्वानी	रा0प्रा0वि0 चौकबाजार	भवन मरम्मत	13,38,000	13,38,000
			योग			1,36,07,000

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वि0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/274431/2025 दिनांक 10.02.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

<u>संलग्नकः आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 17-02-2025 10:53:06
(एम.एम.सेमवाल)
सचिव।

<u>संख्याः– /XXIV-A-2/2025-24/2024(E-81365) तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, ऊ0सिं0नगर व नैनीताल।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. DESE-1/101/17/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 81365)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:– 46 /XXIV-A-2/2025-05/2013T.C(E-49698)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 17 फरवरी, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/16115/5क(02)/12/2024–25 दिनांक 25 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(C) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11, 30, 31 में संलग्न परिशिष्ट–01 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 1,65,00,00,000/– (रूपये एक अरब पैंसठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष द्वितीय छमाही हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 78,84,87,280/–(रूपये अठ्हत्तर करोड़ चौरासी लाख सतासी हजार दो अस्सी मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय/आहरण में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायें।
3. व्यय करने से पूर्व यथा स्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
6. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।
7. मितव्ययता के संबंध जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनदेशों का विशेष रूप से अनुपान किया जायेगा।
8. विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
9. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

File No. BES2-1/2/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 49698)

Scanned with OKEN Scanner

10. Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष ऐसे Certain Percentage छात्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन (random verification) किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।
11. प्री–प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा भारत सरकार से जो प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है उसको ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाए।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान सं0–30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्रावधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति 31.03.2025 से पूर्व कर ली जाए।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा की **संलग्न परिशिष्ट–01** में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: I/273508/2025 दिनांक: 06.02.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 17-02-2025 10:58:12
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या:– /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकर (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कोषाधिकरी/कोषाधिकरी देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकार, उत्तराखण्ड (निदेशक, प्रा0शि0 में माध्यम से)
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 17-02-2025 11:38:59

File No. DESE-1/2/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 49698)
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0– 46 /XXIV-A-2/2025-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 17 फरवरी, 2025 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

अनुभाग सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
11	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 24–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	1,28,70,00,000	67,19,79,920	61,50,20,080
30	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 03–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	29,70,00,000	15,50,72,290	14,19,27,710
31	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 02–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	6,60,00,000	3,44,60,510	3,15,39,490
		1,65,00,00,000	86,15,12,720	78,84,87,280

(रू0 अठ्हत्तर करोड़ चौरासी लाख सतासी हजार दो सौ अस्सी मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव

File No. BES2-1/2/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 49698)

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः20 / XXIV-A-2/2025-25 / 2007 / Vol-1(E-73720)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 04 फरवरी, 2025

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0का0/505/PM POSHAN/03A/भो0मानदेय/2024-25 दिनांक 16 जनवरी, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 24,938 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु रू0 14,96,28,000/-(रू0 चौदह करोड़ छियानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जायेगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(iii) अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(vi) व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंसोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(viii) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ix) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक का लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—02—मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय—42—अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जाये।

3— उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/आलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/272025/2025 दिनांक 31.01.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal (एम.एम. सेमवाल)
Date: 04-02-2025 11:33:39 सचिव

सं0 ( )//XXIV-A-2/2025—25/2007/Vol-1(E-73720) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal (राजेन्द्र सिंह बौनाल)
Date: 04-02-2025 12:17:41 अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/6/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 73720)
Scanned with OKEN Scanner

सं0 28 /XXIV-A-2/2025-25/2007 टी0सी0

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 04 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत तृतीय किश्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-रा0प0का0/546/PM Poshan-08(Budget)/2024-25 दिनांक 30 जनवरी, 2025 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17-9/2024-PMP-1 दिनांक 28.01.2025 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 31.01.2025 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 30,90,25,000/-(रू0 तीस करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 3,10,98,000/- (रू0 तीन करोड़ दस लाख अठानब्बे हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 34,01,23,000/-(रू0 चौंतीस करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र)** संलग्न परिशिष्ठ-1/2 में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं शासनादेश सं0-469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ सं.-2....

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 04-02-2025 14:20:42
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/2025–25/2007 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 04-02-2025 15:44:48

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

क्रमशः पृष्ठ सं.–3....

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-1 / केन्द्रांश

शासनादेश सं0- 28 / XXIV-A-2/2025-25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या-11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9000.00	2949.88	2254.34
अनुदान संख्या-30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यकम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यकम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3320.10	976.16	745.99
अनुदान संख्या-31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यकम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यकम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	400.23	117.68	89.92
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 +30 + 31)	12720.33	4043.72	3090.25

(रू0 तीस करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र)

कमशः पृष्ठ सं.-4.....

परिशिष्ट—2 / राज्यांश

शासनादेश सं0—28 / XXIV-A-2/2025—25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 04- फरवरी, 2025 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या—11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	900.00	304.12	226.86
अनुदान संख्या—30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	328.42	100.64	75.07
अनुदान संख्या—31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	39.59	12.13	9.05
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1268.01	416.89	310.98

(रू0 तीन करोड़ दस लाख अठानबे हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BESE-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या– 616 /XXIV(1)-A-2/2025–14/2020 टी०सी० (E-52779)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 30 जनवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/15070/5क(02)/01/2024–25, दिनांक 21.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन 05–वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्रथम अनुपूरक धनराशि सहित प्रावधानित धनराशि रू0 1,31,00,00,000/–मात्र के सापेक्ष कुल **अवशेष रू0 6,00,00,000/–(रू0 छः करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2017 के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायं। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(9) अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा आहरण व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

e No. BESE-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(I) (Computer No. 52779)

Scanned with OKEN Scanner

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/269310/2025 दिनांक 20.01.2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 30-01-2025 12:29:13

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– / ( )/XXIV(1)-A-2 /2025–14/2020 टी0सी0(E-52779) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 30-01-2025 12:51:43

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

e No. BES2-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 52779)

Scanned with OKEN Scanner

सं0615/XXIV-A-2/2025-25/2007/Vol-1(E-73708)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग--2 देहरादून, दिनांक 28 जनवरी, 2025

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-पी0एम0पोषण/470/अ0पो0-02A(बजट)2024-25 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 9563.33 लाख के सापेक्ष अतिरिक्त पोषण हेतु रू0 5,80,40,100/-मात्र (रू0 पांच करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

e File No. BES2-1/101/3/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 73708)

Scanned with OKEN Scanner

2— अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—02—मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय—42—अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0—I/269722/2025 दिनांक: 21.01.2025 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal (एम0एम0 सेमवाल)
Date: 28-01-2025 12:29:32

<u>सं0 ( )/ XXIV-A-2/2025—25/2007/Vol-1(E-73708) तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 28-01-2025 12:51:25

e No. DESE-1/101/5/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 73708)
Scanned with OKEN Scanner

संख्या–622/XXIV(1)-A-2/2025–22/2012

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 15 जनवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में एजूकेशन पोर्टल योजनान्तर्गत धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–अर्थ–2/14849/5क(02)/01/2024–25 दिनांक 17.12.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन 02–एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान में धनराशि ₹ 2,00,000/–मात्र एवं मानक मद 40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र में धनराशि ₹ 10,000/–मात्र अर्थात् **कुल धनराशि ₹ 2,10,000/–(रू0 दो लाख दस हजार मात्र)** निम्न निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

File No. BES2-5/103/2/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 51551)

Scanned with OKEN Scanner

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–106–अध्यापक और अन्य सेवायें–02– एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 25–उपयोगिता बिलों का भुगतान एवं 40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र के लिए भुगतान नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358 / 09(150) / 2019XXVII(1) / 2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)</u>

भवदीय,

Signed by
Ma(मदन मोहन सेमवाल)l
Date: अपर सचिव। 14:15:33

<u>संख्या– ( ) / XXIV(1)-A-2 /2025–22 / 2012 टी0सी0 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 14-01-2025 15:30:03

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:–524/XXIV-A-2/08/2024(E-69743)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

विषयः राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/3336/आंगणन शासन/2024–25 दिनांक 31.05.2024 एवं जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या–755(1)/सत्ताईस–जे0ए0/2023–24 दिनांक 14.10.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 1,07,00,000/–(रू0 एक करोड़ सात लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण में 60 प्रतिशत के रूप में **कुल धनराशि ₹ 64,20,000/–(रू0 चौसठ लाख बीस हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं

Scanned with OKEN Scanner

समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः 1/259818/2024 दिनांक 10.12.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 11-12-2024 16:00:28

(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्याः– 524 /XXIV-A-2/08/2024(E-69743) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Pooran Giri
Date: 11-12-2024 16:49:35

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

File No. BESz-1/102/2/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 69743)
Scanned with OKEN Scanner

संख्या:–588/XXIV-A-2/20/2024(E-78234)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसारी, वि0ख0 उखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/11317/आं0शासन/2024–25 दिनांक 23.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसारी, वि0ख0 उखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि **₹ 34,37,000/–(रूपये चौंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, .2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09. 2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: I/259833/2024 दिनांक 10.12.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Mad(हस्ताक्षर)mwal
Date: (अपठनीय)2024 16:02:17

संख्या:–   /XXIV-A-2/20/2024(E-78234) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Pooran Giri
Date: 11-12-2024 16:47:57

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

File No. BES2-1/10/13/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 78234)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या:– 572 /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–अर्थ–2 / 12647 / 5क(02) / 12 / 2024–25 दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(1)(C) के अन्तर्गत अध्ययनरत एवं नवीन प्रवेशित बच्चों के प्रतिपूर्ति व्यय हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–11, 30, 31 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 1,65,00,00,000 /– (रूपये एक अरब पैंसठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम छमाही हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रू0 86,15,12,720 /–(रूपये छियासी करोड़ पन्द्रह लाख बारह हजार सात सौ बीस मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय / आहरण में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358 / 09 (150) / 2019XXVII(1) / 2024 दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायें।
3. व्यय करने से पूर्व यथा स्थिति अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय शासन के वर्तमान नियमों / आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति / सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
6. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।
7. मितव्ययता के संबंध जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनदेशों का विशेष रूप से अनुपान किया जायेगा।
8. विभाग द्वारा 03 माह के भीतर भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे।
9. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।
10. Eligible छात्रों को ही इस योजना से लाभान्वित करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए प्रतिवर्ष एक Certain Percentage छात्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में भौतिक सत्यापन (random verification) किया जायेगा तथा इसके परिणाम से प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. प्री–प्राइमरी के बारे में नीतिगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय तथा भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है उसको ट्रेजरी में जमा करते हुए पूर्व में समायोजित धनराशि की पुष्टि भी सुनिश्चित की जाए।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुदान सं0–30 एवं 31 के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग प्राविधानित उद्देश्यों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र–छात्राओं हेतु ही किया जायेगा। साथ अनुसूचित एवं जनजाति वर्ग के बच्चों की प्रतिपूर्ति 31.03.2025 से पूर्व कर ली जाए।
13. लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में विभाग स्वयं सुनिश्चित कर लेगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा की संलग्न **परिशिष्ट–01** में उल्लिखित संबंधित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः 1/257364/2024 दिनांक 29.11.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,
Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 05-12-2024 15:54:52
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

<u>संख्याः– /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698) तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकर (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कोषाधिकरी/कोषाधिकरी देहरादून।
5. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकार, उत्तराखण्ड (निदेशक, प्रा0शि0 में माध्यम से)
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

Signed by आज्ञा से,
Pooran Giri
Date: 05-12-2024 16:17:29
(पूरन गिरि)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–01

शासनादेश सं0– 572 /XXIV-A-2/2024-05/2013T.C(E-49698) दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
11	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 24–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	1,28,70,00,000	67,19,79,920
30	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 03–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	29,70,00,000	15,50,72,290
31	2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा, 102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, 02–शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति, 42 अन्य विभागीय व्यय	6,60,00,000	3,44,60,510
	योग–	1,65,00,00,000	86,15,12,720

(रू0 छियासी करोड़ पन्द्रह लाख बारह हजार सात सौ बीस मात्र)

(पूरन गिरि)
उप सचिव

No. BES2-1/2/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 49698)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–5457/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी0सी0

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 20 नवम्बर, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: अर्थ–2/13180/5क(02)/01/2024–25 दिनांक 05.11.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित योजनाओं/मदों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 31,00,000/–(रू0 इकतीस लाख मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150) 2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।
(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायं। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।
(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।
(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।
(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

File No. BESJ-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 52772)

Scanned with OKEN Scanner

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट—1)।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।
Date: 20-11-2024 13:41:30

संख्या— ( )/XXIV(1)-A-2/2024—14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या–547 /XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 का संलग्नक

(धनराशि रु0 हजार में)

अनुदान संख्या–11(राजस्व)

लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुपूरक सहित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त धनराशि
2202–	सामान्य शिक्षा			
01–	प्रारम्भिक शिक्षा			
001–	निदेशक तथा प्रशासन			
03–	निदेशालय अधिष्ठान			
	29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	850	600	250
	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	250	100	150
	योग	1100	700	400
	योग–001	1100	700	400
104–	निरीक्षण			
03–	क्षेत्रीय निरीक्षण			
	11–अनुमन्यता संबंधी व्यय	150	—	150
	51–अनुरक्षण	1050	—	1050
	योग	1200	—	1200
05–	विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना			
	51–अनुरक्षण	1500	—	1500
	योग	1500	—	1500
	योग–104	2700	—	2700
	महायोग	3800	700	3100

(रूपये इकतीस लाख मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 20-11-2024 15:10:52

ile No DESE-1/102/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 52772)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–546 / XXIV(1)-A-2 /2024–22 / 2012(E-51953)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में एजूकेशन पोर्टल योजनान्तर्गत धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–अर्थ–2 / 12087 / 5क(02) / 01 / 2024–25, दिनांक 10.10.2024 एवं संख्या–एजु0पोर्टल / 13381 / 2024–25, दिनांक 11.11.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–106–अध्यापक और अन्य सेवायें–02–एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **कुल धनराशि रू0 8,70,000/–(रू0 आठ लाख सत्तर हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023—24 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—106—अध्यापक और अन्य सेवायें—02—एजूकेशन पोर्टल के मानक मद 27—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट—1)।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan (मदन मोहन सेमवाल)
Date: 18-11-2024 11:43:20
सचिव

<u>संख्या— ( )/XXIV(1)-A-2 /2024—22/2012(E-51953) तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 18-11-2024 12:58:48

संख्या:-536 /XXIV-A-2/09/2024(E-76650)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन की स्वीकृति/ धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/9190/आंगणन–शासन/2024–25 दिनांक 07.08.2024 एवं संख्या–नियोजन(04)/12838/आंगणन–शासन/2024–25 दिनांक 26.10.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–156/ 2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की **कुल लागत ₹ 76,40,000/–(रूपये छिहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त (60%) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 45,84,000/–(रूपये पैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र)** निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, . 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/99(150)/2019 XXVII(1)/ 2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: I/252877/2024 दिनांक 11 नवम्बर, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
(एम0एम0सेमवाल)
Date: 18-11-2024 11:44:16

संख्या:– /XXIV-A-2/09/2024(E-76650) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 18-11-2024 12:34:57

Scanned with OKEN Scanner

सं0 518 / XXIV-A-2/24–26 / 2007 / Vol-1(E-51835)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 05 नवम्बर, 2024

विषयः मुख्यमंत्री अमृत आँचल योजनान्तर्गत पी0एम0 योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0/327/पी0एम0पोषण/60(मिल्क)/2024–25 दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में "मुख्यमंत्री अमृत आँचल" योजनान्तर्गत पी0एम0 पोषण योजना से आच्छादित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छत्र–छात्राओं को फोर्टिफाईट मीठा सुगंधित दुग्ध उपलब्ध कराये जाने हेतु **रू0 5,50,44,320/–(रू0 पांच करोड़ पचास लाख चौवालीस हजार तीन सौ बीस मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
3. योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय–समय पर जारी किये गये समस्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षक यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या मद आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हों।
5. स्वीकृत धनराशि समय से उपयोग करने हेतु संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों/संबंधितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी। आहरण एवं वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
7. वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
9. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया [1]जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

10 विभिन्न मदो में व्यय/देयता सृजित होने पर सम्बन्धित आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

11. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित मासवार व्यय का दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी०एम०–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

12. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3— उपरोक्त स्वीकृत/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/250972/2024 दिनांक 30.10.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)

भवदीय,

Signed by
Ravinath Raman
Date: 05-11-2024 12:34:20 (रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/24–25/2007/Vol-1(E-51835) तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 05-11-2024 14:09:37

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BESE-8/115/48/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 51835)
[illegible]
Scanned with OKEN Scanner

संख्या:–454- /XXIV-A-2/20/2024(E-78234)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 04- ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2024

विषयः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/11317/आं0शासन/2024–25 दिनांक 23.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में परिशिष्ट–1 पर संलग्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, मण्डी परिषद् एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 6,14,04,000/–(रू0 छः करोड़ चौदह लाख चार हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, .2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को

Scanned with OKEN Scanner

उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290 / XXVII(7) / 2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/249705/2024 दिनांक 24.10.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

संलग्नकः आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
(एम.एम.सेमवाल)
Date: 04-11-2024 14:07:20
अपर सचिव

संख्याः– / XXIV-A-2/20/2024(E-78234) तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, देहरादून व चम्पावत।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal (राजेन्द्र सिंह बौनाल)
Date: 04-11-2024 14:15:32 अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0–454 /XXIV-A-2/20/2024(E-78234), दिनांक 04-नवम्बर-~~अक्टूबर~~ 2024 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र. सं.	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0आ0पू0मा0वि0 माटगांव	भवन मरम्मत	13.71
2.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 खतेड़ा	भवन मरम्मत	16.14
3.	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0प्रा0वि0 तोली बरम	भवन मरम्मत	10.04
4.	पिथौरागढ़	धारचूला	रा0प्रा0वि0 धामीगांव	वृहद मरम्मत	10.04
5.	टिहरी गढ़वाल	भिलंगना	रा0प्रा0वि0 सिलुडी बासर	पुनर्निर्माण	31.94
6.	पौड़ी गढ़वाल	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 सौंटी	3 कक्षों का निर्माण	26.50
7.	पौड़ी गढ़वाल	थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 गिठाली	वृहद मरम्मत	21.63
8.	पौड़ी गढ़वाल	थलीसैण	रा0प्रा0वि0 चमंगांव	पुनर्निर्माण	38.38
9.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 कोटडासन्तोर	पुनर्निर्माण	32.73
10.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 सुद्धोवाला	पुनर्निर्माण	32.70
11.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 बड़ोवाला भाउवाला	पुनर्निर्माण	32.29
12.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 क्यारकली भट्टा	पुनर्निर्माण	34.04
13.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 रैंडापुर	पुनर्निर्माण	32.39
14.	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 गोपीवाला	पुनर्निर्माण	27.01
15.	चम्पावत	पाटी	रा0क0उ0प्रा0वि0 देवीधुरा	पुनर्निर्माण	38.50
16.	चम्पावत	पाटी	रा0प्रा0वि0 अनर्पा	पुनर्निर्माण	35.50
17.	चम्पावत	पाटी	रा0प्रा0वि0 कार्कीछाना	पुनर्निर्माण	35.50
18.	चम्पावत	पाटी	रा0प्रा0वि0 चौडा	पुनर्निर्माण	35.50
19.	चम्पावत	पाटी	रा0प्रा0वि0 मौलना जाख	पुनर्निर्माण	35.50
20.	चम्पावत	पाटी	रा0उ0प्रा0वि0 पारस	पुनर्निर्माण	38.50
21.	चम्पावत	पाटी	रा0प्रा0वि0 देवीधुरा	पुनर्निर्माण	35.50
				योग	614.04

(रूपये छः करोड़ चौदह लाख चार हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/13/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 78234)

Scanned with OKEN Scanner

सं0 521 / XXIV-A-2/24–25 / 2007 / Vol-1(E-31850)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाता वर्दी एवं भोजनमाता प्रोत्साहन राशि हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0 / 341 / PM POSHAN-03-B / भो0वर्दी एवं प्रोत्साहन / 2024–25 दिनांक 19 अक्टूबर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत भोजनमाता वर्दी हेतु रू0 2,14,00,000 / –(रू0 दो करोड़ चौदह लाख मात्र) एवं भोजनमाता प्रोत्साहन राशि हेतु रू0 2,49,38,000 / –(रू0 दो करोड़ उनचास लाख अड़तीस हजार मात्र) अर्थात् **कुल रू0 4,63,38,000 / –(रू0 चार करोड़ तिरेसठ लाख अड़तीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
3. वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक / मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
5. व्यय की मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358 / 09(150) / 2019XXVII(1) / 2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I / 67149 / 2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों / आदेशों / वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विभिन्न मदों में व्ययभार / देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
7. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

File No. BES2-1/101/16/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(I) (Computer No. 31850)

8. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—02—मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय—42—अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3— यह आदेश शासनादेश संख्या—130/XXVII(6)/430/एक/2008 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/250637/2024 दिनांक 29.10.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
(एम.एम. सेमवाल)
Date: 30-10-2024 13:23:01
अपर सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/23—25/2007/Vol-1(E-31850) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

01. महालेखाकार उत्तराखण, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

le No. BESE-1/101/16/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 31850)

संख्या 519 / XXIV-A-2/2024–25 / 2007 / Vol-1(E-73720)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या–रा0प0का0 / 340 / PM POSHAN/03A/भो0मानदेय / 2024–25 दिनांक 19 अक्टूबर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 24,938 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु **रू0 14,96,28,000 / –(रू0 चौदह करोड़ छियानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जायेगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(iii) अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक / मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(vi) व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358 / 09(150) / 2019XXVII(1) / 2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों / आदेशों / वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंसोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) विभिन्न मदों में व्ययभार / देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(viii) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

File No. BES2-1/101/6/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 73720)

(ix) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक का लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42– अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जाये।

3– उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/आलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/250391/2024 दिनांक 28.10.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
(एम0एम0 सेमवाल)
Date: 29-10-2024 15:56:32
अपर सचिव

सं0 ( )/ /XXIV-A-2/2024–25/2007/Vol-1(E-73720) तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal (राजेन्द्र सिंह बौनाल)
Date: 29-10-2024 16:11:30 अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/6/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 73720)

सं0 520/XXIV-A-2/2024-25/2007 टी0सी0

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 24- अक्टूबर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-रा0प0का0/342/PM Poshan-08(Budget)/2024-25 दिनांक 19 अक्टूबर, 2024 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17-9/2024-PMP-I दिनांक 11.10.2024 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 16.10.2024 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 20,21,86,000/-(रू0 बीस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 2,08,45,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 22,30,31,000/-(रू0 बाईस करोड़, तीस लाख इक्तीस हजार मात्र) संलग्न परिशिष्ठ-1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं शासनादेश सं0-469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

File No. BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 24-10-2024 16:59:49
(एम.एम. सेमवाल)
सचिव

<u>सं0 ( )/XXIV-A-2/2024–25/2007 टी0सी0 तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 24-10-2024 17:31:10
(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BESZ-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21033)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–1 / केन्द्रांश

शासनादेश सं0– 520 / XXIV-A-2/2024–25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 24- अक्टूबर, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9000.00	1474.94	1474.94
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3320.10	488.08	488.08
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
01	केन्द्र सहायतित योजना			
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	400.23	58.84	58.84
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	12720.33	2021.86	2021.86

(रू0 बीस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार मात्र)

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश सं0– 520 / XXIV-A-2/2024–25/2007 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	900.00	152.06	152.06
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	328.42	50.32	50.32
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)				
2202	सामान्य शिक्षा			
01	प्रारम्भिक शिक्षा			
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम			
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश			
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)			
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	39.59	6.06	6.07
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	1268.01	208.44	208.45

(रू0 दो करोड़ आठ लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BESE-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 21053)

Scanned with OKEN Scanner

सं0509/XXIV-A-2/24-25/2007/Vol-1(E-73720)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024

विषयः प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0का0/298/PMPOSHAN/MDM-08/2024-25, दिनांक 21 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0 पोषण) के अन्तर्गत पोषक मानकों के सुधार के संबंध में मैटेरियल कॉस्ट हेतु रू0 7,78,56,742/-(रू0 सात करोड़ अठहत्तर लाख छप्पन हजार सात सौ बयालीस मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
3. योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि के वितरण/व्यय किये जाने हेतु समय-समय पर जारी किये गये समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षक यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या मद आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हों।
5. स्वीकृत धनराशि समय से उपयोग करने हेतु संबंधित आहरण-वितरण अधिकारियों/संबंधितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी। आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, मासिक अथवा किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाए। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाए और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।
7. वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
9. व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों

Scanned with OKEN Scanner

/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

11. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

12. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–02–मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

3– उपरोक्त स्वीकृत/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे है।

4– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/245098/2024 दिनांक 08.10.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 15-10-2024 14:25:33

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव

सं0 ( )/XXIV-A-2/24–25/2007/Vol-1(E-73720) तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 15-10-2024 14:58:51

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/6/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 73720)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–191/XXIV-A-2/15/2024(E-74306)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

विषयः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/ धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/3574/आगणन–शासन/2024–25 दिनांक 06.06.2024 एवं संख्या–नियोजन(04)/10540/आगणन–शासन/2024–25 दिनांक 04.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में परिशिष्ट–1 पर संलग्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 2,66,38,000/–(रूपये दो करोड़ छियासठ लाख अड़तीस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति

File No. BESZ-1/101/8/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 74306)

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः I/244696/2024 दिनांक 07.10.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
(एम.एम.सेमवाल)
Date: 09-10-2024 17:51:47

<u>संख्याः– /XXIV-A-2/15/2024(E-74306) तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी व देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 10-10-2024 10:57:52

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

किया

71

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0–491 /XXIV-A-2/15/2024(E-74306), दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत
1.	बागेश्वर	कपकोट	रा0प्रा0वि0 बाजीधार	पुनर्निर्माण	30.90
2.	पिथौरागढ़	बिण	रा0प्रा0वि0 भल्या	भवन पुनर्निर्माण	35.00
3.	टिहरी	देवप्रयाग	रा0प्रा0वि0 पाटा	भवन पुनर्निर्माण	28.95
4.	टिहरी	प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 रमोलागांव	भवन निर्माण	33.41
5.	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 बांकुडा	मरम्मत कार्य	11.76
6.	पौड़ी	जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 सारी	भवन निर्माण	29.89
7.	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 वाणी विहार	वृहद मरम्मत	11.22
8.	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 भोपालपानी	पुनर्निर्माण	42.58
9.	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 सोडा सरोली	पुनर्निर्माण	42.67
				योग	266.38

(रू0 दो करोड़ छियासठ लाख अड़तीस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

File No. BES2-1/101/8/2024-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 74306)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 1-90 /XXIV-A-2/2023-35/2016(E-46388)

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चनकाना में वृहद् मरम्मत कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्रांकःनियोजन(04)/17367/उ0प्र0पत्र/2022-23, दिनांक 14.12.2022 एवं पत्रांकःनियोजन(04)/10864/उ0प्र0पत्र/2023-24, दिनांक 29.09.2023 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चनकाना, बेरीनाग में कुल लागत रू0 5,59,000/-(रू0 पांच लाख उनसठ हजार मात्र) के चालू निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रु0 पन्द्रह करोड) में से कार्य की अवशेष कुल धनराशि रु0 3,35,400/-(रु0 तीन लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र) कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-903/XXIV/2017-35/2016 दिनांक 23.03.2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/ वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31-3-2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31-3-2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण-53-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं शासनादेश सं0-I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः- आंवटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by
Madan Mohan Semwal
Date: 09-10-2024 17:53:03
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

क्रमशः......2

File No. DES2-1/101/1/2021-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 46388)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-____( )/XXIV-A-2 /2023-35/2016(E-46300),तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Rajendra Singh Bonal
Date: 10-10-2024 10:55:23

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

'ile No DESE-1/101/1/2023-XXIV-A-2-Basic Education Department (Computer No. 46388)

Scanned with OKEN Scanner

238893/2024

संख्या– 395 / XXIV(1)-A-2 /2024–14 / 2020 टी0सी0 (E-52779)

D.D. अर्थ
कृ0 आवश्यक कार्यवाही
अशोक भट्ट
प्र0 निदेशक
12/09/2024
A.A.O.
11/9

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

396
11.9.24

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 10 सितम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–अर्थ–2/9774/5क(02)/05/2024–25, दिनांक 17.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–11 के अधीन 05–वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 1,25,00,00,000/–मात्र के सापेक्ष **कुल अवशेष रू0 62,50,00,000/–(रू0 बासठ करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2017 के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायं। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(9) अग्रेत्तर धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा आहरण व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

238893/2024 **2—** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखाअनुदान आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 238620 दिनांक 09.09.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

Signed by Raman Ravinath

भवदीय,

Date: 10-09-2024 15:13:29

(रविनाथ रामन)

सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2023–14/2020 टी0सी0(E-52779) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)

अनु सचिव।

BES2-1/101/17/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department

/231771-2024

सं0 380 /XXIV-A-2/2024-25/2007 टी0सी0

D.D. अप्र

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

329
13-8-24

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 09 अगस्त, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत प्रथम किश्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, पी0एम0 पोषण शक्ति निर्माण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-रा0प0का0/208/PM Poshan-08(Budget)/2024-25 दिनांक 06 अगस्त, 2024 एवं अवर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-17-9/2024-PMP-1 दिनांक 24.07.2024 एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त विभाग (बजट), उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 29.07.2024 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होने के सम्बन्ध में की गयी पुष्टि के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के केन्द्रांश की धनराशि ₹ 20,21,86,000/-(रू0 बीस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार मात्र) एवं राज्यांश की धनराशि ₹ 2,08,44,000/- (रू0 दो करोड़ आठ लाख चौबालीस हजार मात्र) इस प्रकार **कुल धनराशि ₹ 22,30,30,000/-(रू0 बाईस करोड़, तीस लाख तीस हजार मात्र)** संलग्न **परिशिष्ट-1/2** में उल्लिखित विवरणानुसार एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0 201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं शासनादेश सं0-469/2022 दिनांक 09.12.2022, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

/231771/2024 (7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11, 30, एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1/2 में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1/2)।

भवदीय,

Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 08-08-2024 17:43:23
(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव

सं0— ()/XXIV-A-2/2024–25/2007 टी0सी0 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पूरन गिरि)
उप सचिव।

परिशिष्ट–1 / केन्द्रांश

शासनादेश सं0: 380 / XXIV-A-2/2024–25 / 2007 टी0सी0 दिनांक 09 अगस्त, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित केन्द्रांश	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि
अनुदान संख्या–11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायतित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90%)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	9000.00	1474.94
अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायतित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(90%)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	3320.10	488.08
अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम		
01	केन्द्र सहायतित योजना		
01 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	400.23	58.84
	कुल योग केन्द्रांश(अनुदान सं0 11 + 30 + 31)	12720.33	2021.86

(रू0 बीस करोड़ इक्कीस लाख छियासी हजार मात्र)

परिशिष्ट-_/राज्य I

शासनादेश सं0: 380 /XXIV-A-2/2023-18/2019 टी0सी0 दिनांक 09 अगस्त, 2024 का संलग्नक।

(धनराशि लाख में)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित राज्यांश	वर्तमान में अवमुक्त की जाने वाली राज्यांश की धनराशि
अनुदान संख्या-11 (सामान्य)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम 90:10)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	900.00	152.06
अनुदान संख्या-30 (एस0सी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह का भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)(10%)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	328.42	50.32
अनुदान संख्या-31 (टी0एस0पी0)			
2202	सामान्य शिक्षा		
01	प्रारम्भिक शिक्षा		
112	विद्यालयों में मध्यान्ह का भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम		
95	केन्द्र सहायतित योजना के सापेक्ष राज्यांश		
95 01	प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)		
14	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस.एन.ए में अन्तरण	39.59	6.06
	कुल योग राज्यांश (अनुदान सँ0 11 + 30 + 31)	1268.01	208.44

(रू0 दो करोड़ आठ लाख चौवालीस हजार मात्र)

Signed by Pooran Giri
Date: 09-08-2024 14:41:23
(पूरन गिरि)
उप सचिव

संख्या–/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी0सी0

प्रेषक,

एस0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 06 अगस्त, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: अर्थ–2/1801/5क(02)/01/2024–25 दिनांक 26.06.2024 एवं पत्रांक: नियोजन(04)/8103/बजट/2024–25 दिनांक 24.07.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित योजनाओं/मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 27,88,10,000/–(रू0 सत्ताईस करोड़ अट्ठासी लाख दस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–20/358/09(160)/2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अत्यधिक व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटन के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायें।

(7) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–महंगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्तों से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित व्यावार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

Copied by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section2 (REVIEW OFFICER, Basic Education Department) on ...

3 (1) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(160)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)</u>

भवदीय,

Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 06-08-2024 10:44
(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

<u>संख्या– 374–(1)/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अनु सचिव।

No. BES21/0082/2023/X/2024-XXIV-A-2 Basic Education Department (Computer No. 52772)
/9/2024

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या– 374 /XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 दिनांक 06 जुलाई, 2024 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)

अनुदान संख्या–11 (राजस्व)			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मद	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2202–	सामान्य शिक्षा		
01–	प्रारम्भिक शिक्षा		
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
08–	विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल		
	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	1000
	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	1500	1500
	51–अनुरक्षण	2000	2000
	योग	4500	4500
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
12–	प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास		
	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	54310	64310
	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	20000	20000
	51–अनुरक्षण	200000	200000
	योग	274310	274310
	महायोग	278810	278810

(रुपये सत्ताईस करोड़ अट्ठासी लाख दस हजार मात्र)

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 06-08-2024 12:52:36

(राजेन्द्र सिंह बोनाल)
अपर सचिव

IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Secondary Education(S043)
HOD-Director Elementary Education(4514)

आवेदन पत्र संख्या-
अनुदान संख्या-011

आदेश संख्या(बी.ओ)-2400011 0011
आदेश पत्र दिनांक-07-AUG-2024

लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा
01-[illegible]
00-
01-प्रारम्भिक शिक्षा
[illegible]

2	2	0	2	0	1	1	0	1	1	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	54310000	0	54310000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	20000000	0	20000000
51-अनुरक्षण	0	200000000	0	200000000
योग	0	274310000	0	27 310000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes Rs 27,43,10,000 (Rupees Twenty Seven Crores Forty Three Lacs Ten Thousand Only)

Approval Status: APPROVED BY OFFICER

संख्या 338 /XXIV-A-2/2024-24/2023(E-60215)

217
15/7/24

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चीनगर के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/7108/आंगणन शासन/2023–24 दिनांक 24.07.2023 एवं संख्या–नियोजन(04)/2964/आंगणन शासन/2024–25 दिनांक 27.05.2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चीनगर, वि0ख0 कोटाबाग** के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद् द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में 53–वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 15.00 करोड़ (रु0 पन्द्रह करोड़) में से उक्त कार्य की औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ **25,69,000/–(रु0 पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** को अवमुक्त कर, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त निमयानुसार औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
3. उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाये तथा नियमानुसार विशिष्टिओं/मानकों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
4. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमिता स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदर्शों तथा शिक्षा विभाग के निर्धारित मानकों का भी पालन किया जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए, नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।
7. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/ 2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by: MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 12/07/2024 06:08

8. उक्त धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि प्रस्तुत योजनाओं का औचित्य व आंगणन की लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित करने का दायित्व प्र0वि0 का है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
9. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा– 03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड सं0–224166/2024 दिनांक 10.07.2024 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 14:25:52

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:– ( )/XXIV-A-2/2024-24/2023(E-60215) तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh
Bonal
Date: 12-07-2024 17:35:17

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

enerated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 12/07/2024 06:08 PM

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)
Secretary-Secretary, Secondery Education(S043)
HOD-Director Elementary Education(4514)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S24070110019
आवंटन पत्र दिनांक-12-JUL-2024

लेखा शीर्षक	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	01-सामान्य शिक्षा
	201-प्रारम्भिक शिक्षा	03-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण
	00-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण	Voted

4	2	0	2	0	1	2	0	1	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	25084000	2569000	0	27653000
योग	25084000	2569000	0	27653000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.25,69,000 (Rupees Twenty Five Lacs Sixty Nine Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

संख्या:–337 /XXIV-A-2/2024-28/2023(E-73979)

D.D. अर्थ

215
15/7/24

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषयः जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/3613/आगणन–शासन/2024–25 दिनांक 06.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्न विवरणानुसार जपवद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्त विभाग के शासनादेश दि0 22.03.2024 के प्रस्तर–14(1) एवं प्रस्तर–16 के प्राविधानानुसार संगत मद में प्राविधानित धनराशि में से नये कार्य हेतु नियत 20 प्रतिशत कुल धनराशि **₹ 61,37,000/–(रू0 इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र)** को अवमुक्त कर वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1.	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दुदिला	भवन मरम्मत	12.48
2.		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बेरीनाग	भवन मरम्मत	13.53
3.		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दौलीगाड़	भवन मरम्मत	19.99
4.		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बड़ेतलग्गा	भवन मरम्मत	15.37
				योग	**61.37**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– स्वीकृति धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटरजनित क्रमांक I/223653/2024 दिनांक 09.07.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक: आवंटन आई0डी0।</u>

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 13:49:05

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:– /XXIV-A-2/2024-28/2023(E-73979) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 12-07-2024 14:15:50

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Secondery Education(S043)

HOD-Director Elementary Education(4514)

आवंटन आई डी-S24070110018
आवंटन पत्र दिनांक-12-JUL-2024

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -011

लेखा शीर्षक

4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
201-प्रारम्भिक शिक्षा
00-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण

01-सामान्य शिक्षा
03-प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण
Voted

4	2	0	2	0	1	2	0	1	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	18947000	6137000	0	25084000
योग	18947000	6137000	0	25084000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.61,37,000 (Rupees Sixty One Lacs Thirty Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

संख्या:336 /XXIV-A-2/2024-08/2024(E-69743)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषयः राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/3336/आगणन–शासन/2024–25 दिनांक 31.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्न् विवरणानुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा–कक्ष निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्त विभाग के शासनादेश दि0 22.03.2024 के प्रस्तर–17(1) एवं प्रस्तर–16 के प्राविधानानुसार संगत मद में प्राविधानित धनराशि में से नये कार्य हेतु नियत 20 प्रतिशत कुल धनराशि ₹ 1,28,44,000/–(रूपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख चौबालीस हजार मात्र) को अवमुक्त कर वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र. सं.	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1.	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कनाकोट	02 कक्षा–कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	29.73
2.		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कुचोली	02 कक्षा–कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	29.75
3.		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 मैखोली	भवन पुनर्निर्माण	34.32
4.		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 भरनो	भवन पुनर्निर्माण	34.64
				योग	**128.44**

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए ए विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करा सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लि जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप उत्तरदायी होगी।

SECTION OFFICER Basic Education Department on 1

स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में
8. परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति
अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएं।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358 / 09(150) / 2019 XXVII(1) / 2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0– I / 67149 / 2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों / आदेशों / वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290 / XXVII(7) / 2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2. स्वीकृत व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 223656 / 2024 दिनांक 09.07.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 14:04:49

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या:– /XXIV-A-2/2024-08/2024(E-69743) तद्दिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 12-07-2024 14:14:13

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

... office by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/...

संख्याः– 335 /XXIV-A-2/2024-12/2023(E-54343)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषयः आश्वासन सं0–22/2023 जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय उप्राड़ी, वि0ख0 स्याल्दे के सुदृढ़ीकरण एवं कक्ष का निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/3336/आगणन–शासन/2024–25 दिनांक 31.05.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय उप्राड़ी, वि0ख0 स्याल्दे, जनपद अल्मोड़ा के सुदृढ़ीकरण एवं कक्ष का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 27,35,000/– (रूपये सत्ताईस लाख पैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त धनराशि को अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रख, व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–I/67149/2022 दिनांक 29.09. 2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

enerated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/07/

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेग स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वे0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांकः 223654/2024 दिनांक 09.07.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः आवंटन आई0डी0।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 13:47:57

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्याः– /XXIV-A-2/2024-12/2023(E-54348) तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 12-07-2024 14:16:57

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/07/

संख्या:–334 /XXIV-A-2/2024-24/2022(E-43565)

213
15/7/24

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 12. जुलाई, 2024

विषयः राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुपई, वि0ख0 भैंसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा के भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नियोजन(04)/19609/आंगणन शा0/2022–23 दिनांक 10.01.2023 एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–3012/सत्ताईस–01/2023–24 दिनांक 08.02.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुपई, वि0ख0 भैंसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा के भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आगणन ₹ 26,49,000/– (रूपये छब्बीस लाख उनचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त धनराशि को अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रख, व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।
4. उक्त की जियोटेगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।
8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30, मई, .2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)/2019 XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024, शासनादेश सं0–1/67149/2022 दिनांक 29.09.2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

... CHANDRA TIWARI SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/07

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–290/XXVII(7)/2012, वित्त अनुभाग–7 (वि0आ0–सा0नि0), दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाय।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण, उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत अनुदान सं0–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–201–प्रारम्भिक शिक्षा–03–प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण–53–वृहद निर्माण मद नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक: 223657/2024 दिनांक 09.07.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा हैं।

<u>संलग्नक: आवंटन आई0डी0।</u>

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 13:45:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

<u>संख्या:– /XXIV-A-2/2024-24/2022(E-43565) तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 12-07-2024 14:22:31

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/07/

224675/2024

संo 333 / XXIV-A-2/2023-25 / 2007 / Vol-1(E-73708)

D.D. अर्थ
अपर निदेशक
230
15/7/24

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या– पी0एम0पोषण/96/अ0पो0–02A(बजट)2024–25 दिनांक 01 जून, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों मदरसों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को अतिरिक्त पोषण हेतु संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 9563.33 लाख के सापेक्ष अतिरिक्त पोषण हेतु **रू0 5,80,40,100/–मात्र (रू0 पांच करोड़ अस्सी लाख चालीस हजार एक सौ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य हेतु उपयोग की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा धनराशि के उपयोग एवं व्यय में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 यथा संशोधित नियमावली, 2019 के सुसंगत प्राविधानों सहित समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश/सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रक्रियाओं का में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाये।

(3) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(5) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायं।

(6) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(7) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

'224675/2024 धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—02—मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय—42—अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड सं0—223350/2024 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: (आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 13:02:45

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0 ( )/2024—25/2007/Vol-1(E-73708) तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 12-07-2024 14:20:49

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/07/

224707/2024

सं0 332 / XXIV-A-2/2024-25 / 2007 / Vol-1(E-73720)

D.D. (शिक्षा)
उप शिक्षा अधिकारी 229
15/7/24

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 12 जुलाई, 2024

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजनमाताओं के मानदेय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड, के पत्र संख्या-रा0प0 का0 / 95 / PM POSHAN/08/2024-25 दिनांक 01 जून, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत कार्यरत 24,938 भोजनमाताओं के मानदेय हेतु **रू0 14,96,28,000/-(रू0 चौदह करोड़ छियानबे लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(i) अवमुक्त की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।

(ii) स्वीकृत धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय के आधार पर ही किया जायेगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(iii) अग्रिम धनराशि उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(v) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

(vi) व्यय में मितव्ययता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)/2019XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंसोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाए एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा। व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

(viii) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक का लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष

रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारम्भिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—02—मध्याह्न भोजन के अन्तर्गत कार्यरत् भोजनमाताओं हेतु वर्दी/मानदेय—42— अन्य विभागीय व्यय मद के नामें डाला जाये।

3— उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019 दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) पोर्टल के माध्यम से संलग्नानुसार निर्गत विशिष्ट नम्बर/आलॉटमेन्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

4— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक 223953/2024 दिनांक 10.07.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)।</u>

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 12-07-2024 13:59:47

(रविनाथ रामन)
सचिव

<u>सं0 ( )/ /XXIV-A-2/2024—25/2007/Vol-1(E-73720) तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार उत्तराखण्ड, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
02. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
03. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।
04. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
05. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), उत्तराखण्ड।
07. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
08. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
09. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh Bonal
Date: 12-07-2024 14:09:44

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by BINOD CHANDRA TIWARI, SO- BASIC EDUCATION SECTION 2 -BCT, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 12/07/

संख्या–319 /XXIV(1)-A-2 /2024–14 /2020 टी0सी0

प्रेषक,

एम.एम. सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 09 जुलाई, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनओं में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः अर्थ–2/4801/5क(02)/01/2024–25 दिनांक 26.06.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन **संलग्न परिशिष्ट–1** में उल्लिखित योजनाओं/मदों के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि **रु0 51,15,00,000/–(रू0 इक्यावन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150) 2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सुसंगत वित्तीय नियमों तथा प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) मानक मद–01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

(9) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

/223339/2024 2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्न परिशिष्ट–1 उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0 एवं परिशिष्ट–1)।

भवदीय,

Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 08-07-2024 1(एम.एम. सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– ( )/XXIV(1)-A-2 /2024–14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department [illegible]

परिशिष्ट–1

शासनादेश संख्या–319 / XXIV(1)-A-2 /2024–14 / 2020 दिनांक 09 जुलाई, 2024 का संलग्नक

(धनराशि हजार में)

अनुदान संख्या–11(राजस्व)			
लेखा शीर्षक	योजना का नाम एवं मानक मदें	वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2024–25 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
2202–	सामान्य शिक्षा		
01–	प्रारम्भिक शिक्षा		
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
04–	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय		
	52–लघु निर्माण	150000	150000
	योग	150000	150000
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
07–	खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन		
	42–अन्य विभागीय व्यय	7000	7000
	योग	7000	7000
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
08–	विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल		
	20–लेखन सामग्री एवं छपाई	3000	3000
	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	10000	10000
	42–अन्य विभागीय व्यय	1500	1500
	योग	14500	14500
101–	राजकीय प्राथमिक विद्यालय		
13–	कक्षा–1 से 8 तक विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था		
	44–सामग्री एवं सम्पूर्ति	250000	250000
	योग	250000	250000
102–	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता		
20–	विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री / निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण		
	56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	90000	90000
	योग	90000	90000
	महायोग	511500	511500

(रूपये इक्यावन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)

Signed by Rajendra Singh
Bonal
Date: 08-07-2024 17:54:40

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department

संख्या:-261/XXIV-A-2/2024-34/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 07 जून, 2024

विषयः जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र सं0-नियोजन(04)/2929/उपभोग प्र0पत्र/2024-25 दिनांक 25 मई, 2024 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय-व्ययक में 53-वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़/-(रू0 पन्द्रह करोड़) में से **जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के चालू निर्माण कार्य की अवशेष कुल धनराशि ₹ 7,19,000/-(रू0 सात लाख उन्नीस हजार मात्र)** कार्य की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश सं0-794/XXIV-A-2/2021/34/2021 दिनांक 14.03.2022 एवं शासनादेश सं0-720/XXIV-A-2/2023-34/2021 दिनांक 31.10.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमवली, 2017 एवं संशोधित नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2025 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-201-प्रारम्भिक शिक्षा-03-प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण-53-वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, के शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः (आवंटन आई0डी0)।

Signed by Raman Ravinath
Date: 07-06-2024 12:53:19

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/06/2024 03:21

6449/2024 संख्याः —— ()/ XXIV-A-2/2024—34 / 2021 तद्दिनॉक।

6449/2024 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
02. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
03. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
04. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
05. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh
Bonal
Date: 07-06-2024 15:14:24

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

enerated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/06/2024 03:21 PM

संख्या– 194 /XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी0सी0

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 02 मई, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–अर्थ–2/149/5क(02)/01/2024–25, दिनांक 05 अप्रैल, 2024 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों के मासिक वेतन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–07–विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0वि0 एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–07 02–सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूल एवं के0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता–05–वेतन भत्तें आदि के लिए सहायक अनुदान मदान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चरण में रु0 6250.00 लाख (रु0 बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर, निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22.03.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय करने से पूर्व यथास्थिति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2017 के सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं प्रचलित प्रकियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी। स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष, आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किया जाय।

(4) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(5) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(6) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जांय।

(7) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 02/05/2024 04:24 P

Scanned with OKEN Scanner

(9) अवमुक्त धनराशि उसी दशा में अनुमन्य की जायेगी जब स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय विवरण उपलब्ध कराया जायेगा तथा आवश्यक व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के लेखाअनुदान आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक 2202—01—प्रारम्भिक शिक्षा—102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता—07—विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू0हा0स्कू0 एवं मॉ0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता—07 02—सहायता प्राप्त जू0हा0 स्कूल एवं मॉ0जी0/नर्सरी विद्यालयों को सहायता—05—वेतन, भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—03 की कम्प्यूटरजनित ई0सं0:— 1/208204/2024 दिनांक 01.05.2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: आवंटन आई0डी0।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 02-05-2024 14:32:20

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या— ( )/XXIV(1)-A-2/2023—14/2020 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23—लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), द्वारा निदेशक, प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Rajendra Singh
Bonal
Date: 02-05-2024 16:05:18

(राजेन्द्र सिंह बौनाल)
अनु सचिव।

Generated from eOffice by MOHAMMAD HARUN, RO-Basic Education Section 2-MH, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 02/05/2024 04:24 PM

Scanned with OKEN Scanner